उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) की सदस्यता प्राप्त)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001

Email : uttarakhandayurved@gmail.com, Website : www.uau.ac.in

संख्या : 1860 / उ0आ0वि0 / काउन्सिलिंग / 2026–27 दिनांक : 24 / 09 / 2026

सेवा में,

परिसर निदेशक,

1- RISHIKUL CAMPUS, (HARIDWAR). U.A.U.
2- GURUKUL CAMPUS, (HARIDWAR). U.A.U.
3- FACULTY OF AYURVEDA, MAIN CAMPUS, (DEHRADUN) U.A.U.

प्राचार्य / निदेशक,

1- DOON INSTITUTE OF AYURVEDA FACULTY, MEDICAL SCIENCES, SHANKARPUR, SHAHASPUR DEHRADUN
2- SURAJMAL MEDICAL COLLEGE OF AYURVEDA & HOSPITAL, KICHHA, U.S. NAGAR
3- KAYA AYURVEDIC COLLEGE, KICHHA, NAINITAL, UK
4- SHIVALIK INSTITUTE OF AYURVEDA&RESEARCH, NEAR-BANSIWALA BRIDGE, JHANJRA CHAKRATA ROAD, DEHRADUN
5- UTTARANCHAL MEDICAL COLLEGE OF AYURVED AND RESEARCH, PREMNAGAR, DEHRADUN
6- DEV BHOOMI MEDICAL COLLEGE OF AYURVEDA & HOSPITAL NAUGAON MANDUWALA, DEHRADUN
7- PATANJALI BHARTIYA AYURVIGYAN EVAM ANUSANDHAN SANSTHAN, HARIDWAR
8- QUADRA INSTITUTE OF AYURVEDA, ROORKEE, HARIDWAR
9- HIMALAYIYA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, JEEVANWALA, DOIWALA, DEHRADUN
10- BEEHIVE AYURVED MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CENTRAL HOPETOWN, SELAQUI, DEHRADUN
11- MOTHERHOOD AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, ROORKEE, HARIDWAR
12- COER MEDICAL COLLEGE OF AYURVEDA AND HOSPITAL, ROORKEE
13- AROMA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, DAULATPUR, HARIDWAR, UK

विषय :– यूजी प्रथम चरण की काउंसिलिंग के अंतर्गत बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में श्रेणी / उप–श्रेणी के आधार पर आवंटित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2026 से यूजी प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रारम्भ की गई है। साथ ही द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग **दिनांक 18 अक्टूबर, 2026 से 02 नवम्बर, 2026 तक** तथा मॉप–अप चरण की काउन्सिलिंग **06 नवम्बर, 2026 से 22 नवम्बर, 2026 तक** सम्पन्न की जानी प्रस्तावित है। उक्त काउंसलिंग के माध्यम से बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमो एवं उपलब्ध सीटों के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी।

काउंसलिंग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी / उप–श्रेणी (Category/Sub Category) के आधार पर आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय संबंधित कालेज द्वारा उनके श्रेणी / उप–श्रेणी से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों का मूल रूप में / नियमानुसार भली–भांति परीक्षण एवं सत्यापन किया जाना

अनिवार्य होगा। कालेज यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, वैध एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप हों तथा अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी/उप–श्रेणी में प्रवेश हेतु पात्र है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि काउंसलिंग बोर्ड द्वारा श्रेणी/उप–श्रेणी अन्तर्गत **औपबन्धिक आधार पर** सीट आवंटित किए जाने के उपरान्त प्रवेश की अंतिम कार्यवाही कालेज स्तर से निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रमाण–पत्रों के समुचित परीक्षण एवं पात्रता से संतुष्ट होने के उपरांत ही की जाए।

यदि किसी अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की वैधता, श्रेणी/उप–श्रेणी अथवा पात्रता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह/अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो संबंधित कालेज द्वारा अपने स्तर से प्रवेश की कार्यवाही करने के स्थान पर **तत्काल** विश्वविद्यालय को अवगत कराते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार सत्यापन के उपरांत यदि अभ्यर्थी निर्धारित श्रेणी/उप–श्रेणी के लिए पूर्णतः पात्र पाया जाता है, तो उसकी सूचना/अभिलेख भी नियमानुसार सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

कालेजों द्वारा किसी भी स्तर पर प्रमाण–पत्रों का समुचित सत्यापन किए बिना अथवा निर्धारित नियमों के विपरीत प्रवेश दिए जाने की स्थिति में संबंधित कालेज/प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा प्रकरण में नियमानुसार विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रवेश से उत्पन्न होने वाली समस्त जिम्मेदारी संबंधित कालेज की होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों एवं काउंसलिंग बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जाए।

भवदीय,

(डॉ0 शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदया के सादर सूचनार्थ।
2. माननीय कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. नोडल अधिकारी, काउन्सिलिग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित पत्रावली।

24.9.26

(डॉ0 शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव